न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश,एन०डी०पी०एस० प्रकरण, श्रीगंगानगर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी: अजय कुमार भोजक
जिला न्यायाधीश संवर्ग,
विविध फौजदारी प्रकरण संख्या: 91/2026 CIS No. 75/2026
CNR– RJSG070001202026

1. सुरेश कालड़ा पुत्र गणपतराम अरोड़ा, उम्र 38 वर्ष, निवासी गणेश चौक, बसंती चौक के पास पुलिस थाना कोतवाली, जिला श्रीगंगानगर।
2. संदीप उर्फ बादशाल पुत्र दर्शन सिंह बाजीगर उमग 32 वर्ष, निवासी रामदेव मंदिर के पास, गली नंबर 10 एसएसबी रोड़ पुलिस थाना जवाहरनगर, जिला श्रीगंगानगर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

–––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना–पत्र धारा –483 बीएनएसएस (439 दण्ड प्रक्रिया संहिता old)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 86/2026, पुलिस थाना जवाहरनगर
अपराध अन्तर्गत धारा– 8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री राकेश मिड्ढा विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री विजेन्द्र कुमार, विशिष्ट लोक अभियोजक– वास्ते राज्य।

–:आदेश:– दिनांकः 12.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा–483 बीएनएसएस का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया एवं सम्बधित केस डायरी का अवलोकन किया गया।
2. प्रकरण के आवश्यक व सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 05.03.2026 उनि थानाधिकारी जयवीर सिंह पुलिस थाना जवाहरनगर, श्रीगंगानगर मय मुलाजमान के गश्त करते हुए वक्त 12.05 पीएम साधुवाली चौक पर पहुंचा तथा पंजाब साईड से आने वाले वाहनों की चैकिंग नाकाबंदी कार्यवाही में मशरूफ हुआ। नाकाबंदी के दौरान वक्त 12.35 पीएम पर पंजाब साईड से एक सफेद रंग की टाटा कार(ईवी) नंबर डीएल 52 जीडी 7141 को रूकवाया गया, जिसमें एक लड़का चालक तथा एक लड़का की सीट पर बैठा हुआ पाया गया। उक्त वाहन की चैकिंग के दौरान मुल्जिमान का नाम पता पूछा गया तो कार चालक ने अपना नाम सुरेश कालड़ा पुत्र गणपतराम अरोड़ा, उम्र 32 वर्ष, निवासी गणेश चौक, बसंती चौक के पास पुलिस थाना कोतवाली, जिला श्रीगंगानगर तथा दूसरे ने अपना नाम संदीप उर्फ बादशाल पुत्र दर्शन सिंह बाजीगर उमग 32 वर्ष, निवासी रामदेव मंदिर के पास, गली नंबर 10 एसएसबी रोड़ पुलिस थाना जवाहरनगर, जिला श्रीगंगानगर होना बताया। मुल्जिमान के कब्जे से पारदर्शी थैली सहित 47 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद हुआ जिसका लाईसेंस परमिट पूछा तो नहीं होना बताया। अभियुक्त संदीप उर्फ बादशान ने पूछताछ में बताया कि संदीप उर्फ बादशाह ने बताया कि मैं तथा सुरेश कालडा हम दोनों चिट्टा पीने के आदि है तथा सब्जी मंडी में हमारी जान पहचान हुई थी। चार माह पहले मैं करणपुर जेल में बन्द था तब मेरे साथ कीकर सिंह नामक फिरोजपुर साईड की बन्दी भी जेल में था। उसने मुझे फिरोजपुर के हरमन नामक व्यक्ति के मोबाईल नम्बर 8872982632 बताये

थे। फिरोजपुर से इकट्ठा व सस्ता चिट्टा खरीदने की योजना मैने व सुरेश ने कल बनायी थी तथा दोनों ने 25–25 हजार रुपये मिलाकर चिट्टा खरीदने के लिये फिरोजपुर गये थे। हम दिनांक 04.03.2026 के 11.00 पीएम सुरेश की गाडी से हम दोनों चिट्टा लेने फिरोजपुर गये थे। फिरोजपुर हम 3.00 एएम पर पहुंच गये थे। इस दौरान मैने व्हाटसएप्प कॉल के जरिये 8872982632 पर सम्पर्क किया था जिसने हमें फिरोजपुर बस अड्डा के पास 50 ग्राम हैरोईन लाकर दी थी जिसके 50 हजार रुपये हमने नगद दिये थे। इसके बाद फिरोजपुर से निकलकर हमने थोडी–थोडी हैरोईन का सेवन कर लिया तथा बाकी मुझसे बरामद हो गयी है। अभियुक्त सुरेश कालडा ने भी इन्ही कथनों की ताईद की। अभियुक्त संदीप उर्फ बादशाह के पूछताछ कथन धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत लेखबद्ध किये गये। बरामदा चिट्टा में से नियमानुसार सैम्पलिंग की कार्यवाही कर, फर्द बरामदगी तैयार की जाकर, फर्द के आधार पर पुलिस थाना जवाहरनगर श्रीगंगानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–86/2026 धारा 8/21, 29 एनडीपीएस एक्ट दर्ज की गई।

3. बहस सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया ।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान जमानत आवेदन–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा व गलत फंसाया गया है, उससे कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर पूर्व में कोई एनडीपीएस प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इलाका हाजा का स्थाई निवासी हैं, जिनके भागने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 05.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

5. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध प्रकट करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर अपराध के आरोप हैं। जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की ।

6. उभय पक्षकारों के तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जा से पारदर्शी थैली सहित 47 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद हुआ है, जो कि अल्प मात्रा से अधिक है।

7. माननीय राज० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आपराधिक रिकार्ड तलब करने पर पुलिस थाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार है।

1. अभियुक्त सुरेश कालड़ा के विरुद्ध निम्न प्रकरण दर्ज होना पाए गए हैं।

क्र. सं.	**मुकदमा नंबर**	**धारा**	**पुलिस थाना**
1.	441/23	323, 341, 324, 308 आईपीसी	कोतवाली जिला श्रीगंगानगर
2.	179/25	11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता	भीनभाल जिला जालौर

1. अभियुक्त संदीप उर्फ बादशाह के विरुद्ध निम्न प्रकरण दर्ज होना पाए गए हैं।

क्र. सं.	मुकदमा नंबर	धारा	पुलिस थाना
1.	121/12	452, 323, 380, 354, 341, 147, 148, 149 आईपीसी 3 एससी/एसटी एक्ट 27 आर्म्स एक्ट	जवाहरनगर जिला श्रीगंगानगर
2.	214/25	115(2), 126(2), 189(2)बीएनएस	कोतवाली जिला श्रीगंगानगर

8. प्रार्थीगण का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। वर्तमान में समाज में नशे की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः प्रकरण में बरामदगी की मात्रा, प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता आदि को मद्दे नजर रखते हुए मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

9. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सुरेश कालड़ा व संदीप उर्फ बादशाह की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अजय कुमार भोजक)

10. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अजय कुमार भोजक)

SUNENA Steno Gr. III "Authenticated document" Digitally signed by SUNENA Date: 2026.03.12 16:01:49 +0530